



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, पंचशील नगर, माकड़वाली रोड़, अजमेर

क्रमांक:-अविविनिलि/मु.ले.अ.(R&C) /राजस्व/पत्राण/प्रे 4377

दि. 27.12.13

आदेश


राजस्थान राज्य विद्युत विनिमायक आयोग द्वारा वाद संख्या आर.ई.आर.सी-343/12 पर दिनांक 10.07.2013 एवं 417/13 दिनांक 02.12.2013 को दिये गये निर्णयानुसार तथा निगम द्वारा जारी आदेश संख्या 5232 दिनांक 23.12.2013 (RE AJ-229) व 8307 दिनांक 24.12.2013 (Comml. AJ-537) की सही अनुपालना हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. उपभोक्ता द्वारा स्वयं या अन्य निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वीकृत भार वृद्धि करवाने एवं तदानुसार बिल जारी होने की अवस्था में उपरोक्त आदेश लागू नहीं होंगे।
2. निगम द्वारा जारी आदेश संख्या 2893 दिनांक 22.07.2010 एवं Comml. AJ-300 के अनुरूप बिल जारी कर कृषि उपभोक्ताओं से अधिक वसूलित राशि एवं चार्ज की गयी अधिक पैन्लटी राशि की गणना संलग्न अनुलग्नक-"अ" के प्रारूप में प्रत्येक संबंधित उपभोक्ता हेतु पृथक से की जायेगी।
3. उपरोक्त बिन्दु संख्या-2 में दर्शायी गयी परिस्थितियां के अलावा यदि कृषि उपभोक्ता का वी.सी.आर का राजस्व निर्धारण कृषि कनेक्शन नीति के अलावा अन्य आधार पर किया गया हो तो उसका संशोधन कृषि नीति प्रावधानों के अनुसार ही करके, अन्तर की राशि का उपभोक्ता के खाते में समायोजन किया जायेगा।
4. भविष्य में निगम आदेश दिनांक 22.07.2010 से प्रभावित कृषि उपभोक्ताओं का बिल स्वीकृत भार के अनुसार ही भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. सभी गणना प्रपत्रों को एक अलग पत्रावली में पेज नंबर डालते हुए अंकक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा एवं इस पेज नं. का CC&AR में भी संदर्भ के रूप में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जायेगा।
6. उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त अधिक राशि जमा नहीं कराने की अवस्था में डी.पी.एम.की राशि भी भूल राशि के साथ समायोजित की जायेगी।
7. संबंधित कृषि उपभोक्ता को बिल में समायोजित की जाने वाली राशि की सूचना संलग्न अनुलग्नक-"ब" में पृथक से दी जायेगी।
8. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उपरोक्त आदेशों के संधर्ष में उपखण्डों द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति का विवरण संलग्न अनुलग्नक-"सी" में प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से इस कार्यालय को प्रदान किया जावेगा।
9. उपरोक्त प्रकार से लौटायी जाने वाली राशि का समायोजन आगामी विपत्र में आवश्यक रूप से किया जाना संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से कियाशील होंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,



(एम.के. जैन)

मुख्य लेखाधिकारी (रा.व.नि.)
अविविनिलि, अजमेर।

उपभोक्ता का नाम खाता संख्या ग्राम.....
जाच प्रतिवेदन संख्या दिनांक सन्दर्भ (पत्रावली एवं पृष्ठ सं.....
..... स्वीकृत भार (HP)..... कुल भार (HP)..... * अधिक भार (HP)..... (% वृद्धि).....

(अ) निगम द्वारा जारी आदेश संख्या 2893 दिनांक 22.07.2010 के अनुसार 20% तक बढ़े भार पर भी वास्तविक भार के अनुरूप जारी बिलों के कारण लौटायी जाने वाली राशि की गणना का विवरण:-

उपभोक्ता को जारी बिलों की अवधि (माह/वर्ष.....सेतक)	कुल माह	* स्वीकृत भार से 20% सीमा तक बढ़ा हुआ अधिक भार (HP)*	उपभोक्ता से अधिक चार्ज की गई कुल निगम राशि (2 x 3 x 85 या 230 जो भी लागू हो रुपये)	उपभोक्ता से अधिक चार्ज किया गया कुल विद्युत शुल्क (2x3x4.25 रुपये)	लौटायी जाने वाली डीपीएस की राशि	कुल लौटायी जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7

(ब) मुख्य अभियंता (Civil) के आदेश संख्या AJ 300 के अनुरूप कृषि उपभोक्ताओं से बढ़े हुए भार की चार्ज की गई पैनल्टी राशि से अधिक वसूलित राशि को लौटाने की गणना का विवरण (यदि कोई चार्ज की गई हो)

बढ़े भार पर विगत 12 महीनों का दुगुनी दर या अन्य आधार से चार्ज की गई निगम राशि	बढ़े हुए भार पर विगत 3 महीनों की फुलेट रेट की टेरिफ के अनुसार तत्कालीन प्रभावित दर का डेढ गुनी दर से चार्ज की जाने वाली निगम राशि	उपभोक्ता को लौटाई जाने वाली राशि (2-3रुपये)	लौटायी जाने वाली डीपीएस की राशि	कुल लौटायी जाने वाली/देय राशि	
CC&AR No. & Date	राशि	3	4	5	6

Debited/Credited vide CC&AR No.& DateRs.

ह. खाता लिपिक

ह. स.रा. अधिकारी

ह.सहायक अभियन्ता

300



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय सहायक अभियन्ता ()

178

अनुलग्नक-“ब”

दिनांक

क्र./स.अ./राजस्व/प्रे

श्री/श्रीमती

.....

.....

विषय:- बिल द्वारा वसूलित अधिक राशि लौटाने बाबत।

महोदय/महोदया,

राजस्थान राज्य विद्युत विनिमायक आयोग द्वारा वाद संख्या आर.ई.आर.सी.
-343/12 पर दिनांक 10.07.2013 एवं दिनांक 02.12.2013 को दिये गये निर्णयानुसार तथा निगम द्वारा
जारी आदेश संख्या अधीक्षण अभियन्ता (Plan)/प्रे 5232 दिनांक 23.12.2013 (REAJ- 229) की
अनुपालना में जांच प्रतिवेदन संख्यादिनांकके संदर्भानुसार आपके बिल
द्वारा, बिल माहवर्षसे बिल माहवर्षतक अधिक
वसूलित कुल राशि(मूलधन.....डी.पी.एस.....), आपके आगामी माहों
विद्युत विपत्रों में समायोजन द्वारा लौटायी जा रही है।

सुचनार्थ प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता ()
अविनिमित्त, अजमेर

301

